CONVEYANCE DEED

विक्रय–पत्र

बिक्री /– मालियत /– स्टाम्प /–

::लेख–पत्र का संक्षिप्त विवरण::

1.	भूमि का प्रकार	–	आवासीय
2.	परगना	–	देवां
3.	ग्राम	–	इब्राहिमपुर कलां (वी–कोड)
4.	सम्पत्ति का विवरण नं0		–
5.	मापन की इकाई	–	वर्गमीटर
6.	विक्रीत क्षेत्रफल	–	वर्गमीटर
7.	सड़क की स्थिति	–	इब्राहिमपुर कलां
8.	अन्य	–	कुछ नहीं
9.	सम्पत्ति का प्रकार	–	आवासीय प्लाट
10.	सरकारी दर	–	/– प्रति वर्गमीटर
11.	प्रतिफल की धनराषि	–	/–

12. **चौहद्दी विक्रीत प्लाट नम्बर** श्र.10
पूरब प्लाट नम्बर श्र.49 चौड़ा उत्तर प्लाट नम्बर श्र.09
दक्षिण प्लाट नम्बर श्र.11.

प्रथम पक्ष संख्या 1	द्वितीय पक्ष संख्या 1
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
मे0 **Canvasinfra Build Pvt Ltd.** यूनिट नं0 001, ओमेक्स हाइट्स, चेल्सी टावर–7 विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी ओम प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 हलधर प्रसाद वर्मा निवासी म0नं0 386/18, माधुरी भवन, गरूलपार, जिला देवरिया पैन नं0 क0पै0नं0 रजि0नं0 मो0नं0	

–:: लेख–पत्र का सम्पूर्ण विवरण ::–

हम मे0 **Canvasinfra Build Pvt Ltd** यूनिट नं0 001, ओमेक्स हाइट्स, चेल्सी टावर–7 विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी ओम प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 हलधर प्रसाद वर्मा निवासी म0नं0 386/18, माधुरी भवन, गरूलपार, जिला देवरिया **प्रथम पक्ष विक्रेता** ..... **द्वितीय पक्ष क्रेता** हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं। एवं प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। जो कि मैं प्रथम पक्ष की आराजी भूमि नम्बर .....जो ग्राम इब्राहिमपुरकलां परगना देवां तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में स्थित है। जिसमें से एक किता प्लाट जिसकी पैमाईष व चौहद्दी का विवरण निम्नलिखित है, जिसका प्रथम पक्ष पूर्णतया स्वामी है, जिसे बेचा है।

जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से षुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में मौजूद है। कोई अन्य व्यक्ति विक्रीत प्लाट में सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी में से निम्न विवरण के एक किता प्लाट को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 .....के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से जरिये एनईएफटी दिनांक ..... में प्राप्त कर लिया है। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से बिक्रीत प्लाट पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण स्वामित्व व कब्जा करा दिया इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत प्लाट में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो चाहे करे व विक्रीत प्लाट का दाखिल खारिज इस विक्रय पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत प्लाट या उसका कोई अंष द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत प्लाट किसी सड़क व खडंजामार्ग व कार्नर पर नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। जिसमें कोई निर्माण नहीं है। इसकी 50 मी0 त्रिज्या में कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। व जिसकी 100 मी0 त्रिज्या में कोई सड़क नहीं है। बिक्रीत प्लाट पूर्णतया आवासीय है,जिसे द्वितीय पक्ष ने आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय किया है।

यह प्रथम पक्ष की क्रय की गयी सम्पत्ति है जिसको प्रथम पक्ष ने जरिये बैनामा दिनांक ..... को क्रय किया था जिसका इन्द्राज कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज बाराबंकी की बही संख्या ..... के जिल्द संख्या ..... के क्रमांक ..... पर रजिस्ट्रीकृत है जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। **विवरण पैमाईश विक्रीत प्लाटः–**

पूरब – फिट
पष्चिम – फिट
उत्तर – फिट
दक्षिण – फिट

कुल क्षेत्रफल .....**वर्गफिट** अर्थात **.....** **वर्गमीटर** जिसकी मालियत सरकार द्वारा निर्धारित ...../– रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से मु0 ...../– रूपया होती है। **चौहद्दी विक्रीत प्लाट नम्बर** श्र.10 पूरब प्लाट नम्बर..... श्र.49 पश्चिम ..... उत्तर प्लाट नम्बर श्र.09 दक्षिण प्लाट नम्बर श्र.11.लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली–भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। उभय पक्षकारो व गवाहान की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है। जिसकी फोटो प्रति प्रपत्र के साथ में संलग्न है। ––––

विदित होवे कि उक्त भूमि पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न ही कोई स्थगन आदेश है। व विक्रीत प्लाट वफ्फ की सम्पत्ति नही है लेखपत्र में हम उभय पक्षों द्वारा रूपया ...../– (रूपया) से अधिक का लेन–देन किया गया है यदि और इससे आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन होता है तो उसकी हम दोनों पक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।

दिनांक

गवाह नं0– 1.

गवाह नं0– 2.